भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 770
24, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अनधिकृत कॉलोनियों में मकान निर्माण के लिए उपनियम

770. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों, जिन्हें स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए हैं, को लागू भवन उप-नियमों के अनुसार अपने भूखंडों/मकानों पर निर्माण/पुनर्निर्माण कराने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रक्रिया क्या है; और

(ग) क्या इसके लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) जी नहीं। 1731 अनधिकृत कॉलोनियां (यूसी) ऐसी कॉलोनियां या निर्मित संरचनात्मक क्षेत्र हैं, जिनकी लेआउट योजना या भवन निर्माण योजना संबंधी अनुमोदन हेतु कोई अनुमति नहीं ली गई है और 29.10.2019 को अधिसूचित "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता)" विनियम, 2019 के तहत नियमितीकरण हेतु इनकी पहचान की गई है।

एमपीडी, 2021 के पैरा 4.2.2.3 बी के उप पैरा (ii) में निर्धारित न्यूनतम शर्तों को पूरा करने वाली अनधिकृत कॉलोनियों/आंशिक अनधिकृत कॉलोनियों के पास इनके मौजूदा लेआउट प्लान को नियमित कराने का विकल्प होगा। तदुपरान्त, व्यक्तिगत भू-स्वामी

संबंधित स्थानीय निकाय से किसी भी नियमितीकरण/परिवर्धन/परिवर्तन/नए भवन निर्माण के लिए संशोधित भवन निर्माण योजना के अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया करा सकते हैं, बशर्ते भवन निर्माण संबंधी उपनियमों, संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा आदि के प्रासंगिक प्रावधानों के संबंध में सभी वैधानिक मंजूरियां ली गई हों।

*****